राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– गुडिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : सन 2018
अनवान :–

1. चिमनलाल पुत्र हरलाल जाति सुथार साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र मूलाराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. भूपसिह 3 पवन कुमार 4 विधा 5 सुरती 6 पावर्ती पुत्र/पुत्रीया हरलाल जाति सुथार साकिन फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 09.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया सक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 55 की कुल 60.00 बीधा भूमि जिसके मूलाराम पुत्र किस्तुरा खातेदार काश्तकार थे वादी के दादा मुलाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्रगणों पर औद हुई जिन्होने विभाजन कर लिया जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 291/134 की कुल 4.9430हैक भूमि आई विरास्तन से यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि उनके हक हिस्सा की है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन मे राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा मुलाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मुलाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हको का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है इस प्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 291/134 की कुल 4.9430हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– पांच हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोर्ट–गुडिया

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–गुडिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. चिमनलाल पुत्र हरलाल जाति सुथार साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 हरलाल पुत्र मूलाराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2 भूपसिह 3 पवन कुमार 4 विधा 5 सुरती 6 पावर्ती पुत्र/पुत्रीया हरलाल जाति सुथार साकिन फेफाना तहसील नोहर।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक–09.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्रि किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 291/134 की कुल 4.9430हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– पांच हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–गुडिया